न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 66/2016

1 साबिया पत्नी उमराव
2 उर्मिला पुत्री उमराव
3 बेबी पुत्री उमराव
4 शकिला पुत्री उमराव
5 जमिला पुत्री उमराव
6 रमजाना पुत्री उमराव
7 रूबिना पुत्री उमराव
8 मबिना पुत्री उमराव जाति राणा मुसलमान निवासी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 समसु पुत्र बैजा
2 निजामु पुत्र बैजा
3 गेन्दो बेवा बैजा
4 सुशीला पुत्री बैजा
5 अजीज पुत्र सोहन
6 अनौज पत्नी सोहन
7 महमूद पुत्र सोहन
8 रूकसाना पुत्री सोहन
9 नसीम पुत्री सोहन
10 माहीया पुत्री सोहन
11 समीरा पुत्री सोहन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

12 मनोज पुत्र गणपत समस्त जाति राणा निवासी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

13 रविदत्त पुत्र सुरजमल जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

14 कान्ता पत्नी पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

15 केदारमल पुत्र माडूराम जाति खाती निवास अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

16 सुभाषचन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति खाती निवासी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

17 रामनारायण पुत्र दीपचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

18 तहसीलदार साहब सुरजगढ़ लैण्ड होल्डर सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

19 उप पंजीयन अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. ।

20 उगन्ता पत्नी महिपाल सिंह जाति अहीर निवासी सुलाताना अहीरान हाल निवासी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

21 श्रवण कुमार पुत्र करणाराम जाति ब्राह्मण निवासी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.05.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ वाद उमराव बनाम समसू वगै. मु.न. 115/2013, 16/2012

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

अपील संख्या 126/2016

1 साबिया पत्नी उमराव
2 उर्मिला पुत्री उमराव
3 बेबी पुत्री उमराव
4 शकिला पुत्री उमराव
5 जमिला पुत्री उमराव
6 रमजाना पुत्री उमराव
7 रूबिना पुत्री उमराव
8 मबिना पुत्री उमराव जाति राणा मुसलमान निवासी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 समसु पुत्र बैजा
2 निजामु पुत्र बैजा
3 गेन्दो बेवा बैजा
4 सुशीला पुत्री बैजा
5 अजीज पुत्र सोहन
6 अनौज पत्नी सोहन
7 महमूद पुत्र सोहन
8 रूकसाना पुत्री सोहन
9 नसीम पुत्री सोहन
10 माहीया पुत्री सोहन
11 समीरा पुत्री सोहन

भू. ... अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

12 मनोज पुत्र गणपत समस्त जाति राणा निवासी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

13 रविदत्त पुत्र सुरजमल जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

14 कान्ता पत्नी पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

15 केदारमल पुत्र माडूराम जाति खाती निवास अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

16 सुभाषचन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति खाती निवासी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

17 रामनारायण पुत्र दीपचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

18 तहसीलदार साहब सुरजगढ़ लैण्ड होल्डर सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

19 उप पंजीयन अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. ।

20 उगन्ता पत्नी महिपाल सिंह जाति अहीर निवासी सुलाताना अहीरान हाल निवासी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

21 श्रवण कुमार पुत्र करणाराम जाति ब्राह्मण निवासी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.05.2016 द्वारा
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ उनवानी वाद उमराव
बनाम समसू वगै. मु.नं. 164/2013

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

5

उपस्थिति :

1. श्री मो. खादिम, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भंवरसिंह परमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः–29.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 115/2013, 16/2012, 164/2013 में पारित निर्णय दिनांक 05.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी प्रार्थी उमराव की ओर से ग्राम अड़ूका की भूमि गत खसरा नम्बर 381 हाल खसरा नम्बर 436, 437, 440, 441, पुराना खसरा नम्बर 376 हाल खसरा नम्बर 442, 443, 444 के सदर्भ में घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। इस वाद के साथ अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी थी। मूलवाद में प्रतिवादी की ओर से आदेश 09 नियम 7 व आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 की सुनवाई के उपरांत विचाराधीन निर्णय दिनांक 05.05.2016 से आदेश 07 नियम 11 का आवेदन स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया एवं वाद खारिज होने के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन भी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर वादी के वारिसान की ओर से यह अपीले प्रस्तुत की गई है।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आदेश 09 नियम 7 व आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत करने वाले पक्षकार प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध दिनांक 13.09.2012 को ही एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी थी। विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही मनसुक किये बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना प्रतिवादी संख्या 5 के आवेदन पर सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। आदेशिका के अनुसार विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध वादी द्वारा न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण सक्षम स्तर पर आवेदन प्रस्तुत करने का अंकन आया है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 09 नियम 07 के आवेदन पर कोई निर्णय पारित किये बिना सीधे ही आदेश 07 नियम 11 का आवेदन स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से विधिक प्रक्रिया अनुसार आदेश 09 नियम 07 एवं आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को प्रार्थना पत्रों का जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। इसके उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर विधि अनुसार उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर विवेचन कर वादकरण के अभाव में एवं वादी स्वच्छ हाथों से नहीं आने के कारण विचाराधीन निर्णय से आदेश 07 नियम 11 का आवेदन स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया गया है। मूलवाद खारिज होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय के निर्णय विधि सम्मत है। अपीले सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आदेश 09 नियम 7 व आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

करने वाले पक्षकार प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध दिनांक 13.09.2012 को ही एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी थी। विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही मनसुक किये बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना प्रतिवादी संख्या 5 के आवेदन पर सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। आदेशिका के अनुसार विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध वादी द्वारा न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण सक्षम स्तर पर आवेदन प्रस्तुत करने का अंकन आया है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 09 नियम 07 के आवेदन पर कोई निर्णय पारित किये बिना सीधे ही आदेश 07 नियम 11 का आवेदन स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय को जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किये जाते है कि विधिक प्रक्रिया के अनुसार जवाब प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई मूलवाद में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। धारा 212 के आवेदन में उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें तब तक धारा 212 के आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2012 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर